रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 127] नई दिल्ली, शनिवार, मई 25, 1974/ज्येष्ठ 4, 1896

No. 127] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 25, 1974/JYAISTHA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May 1974

G.S.R. 247(E).—Whereas in pursuance of sub-section (1) of section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government has nominated the Director, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, as the Chairman of the Registration Committee for a period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette *vice* the Deputy Director-General (Crop Sciences), Indian Counil of Agricultural Research, New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of section 5 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), No. G.S.R. 1542, dated the 13th October, 1971, namely:—

In the said notification under the heading 'Chairman', against item (i), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"The Director, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi".

[No. 19-4/74-PPS]

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 1974

सा० का० नि० 247 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने कीटनाशि अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसरण में, उपमहानिदेशक (कैरल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के स्थान पर निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण समिति के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अनुसरण में, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1542, तारीख 13 अक्टूबर, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, 'अध्यक्ष', शीर्षक के नीचे, मद (i) के सामने, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

'निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली" ।

[सं० 19–4/74–पी० पी० एस०]

अन्ना० आर० जार्ज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974